

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाइल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का स्थिति, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० विशुनदेव प्रसाद यादव, 64, स्व० सभापति यादव, पिछड़ा जाति	देवलती देवी, (पत्नी)	725, 02.04. 2026	ग्रा०-गुणराजपुर, पो०-जयथर, थाना-तरैया, प्रखण्ड-इसुआपुर, जिला-सारण 8789831705	468810 110023 512	BOI, BKID00 04688	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
02	स्व० विजय सहनी, 48, स्व० पारस सहनी, पिछड़ा जाति	प्रमिमा देवी, (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-महुली, पो०-अगौथर नंदा, थाना-तरैया, प्रखण्ड-इसुआपुर, जिला-सारण 8102050037	355997 07110	SBI, SBIN000 5438	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
03	स्व० पानपति देवी, 50, भगवान राय, पिछड़ा जाति	भगवान राय, (पति)	तदैव	ग्रा०+पो०-छपिया, थाना-तरैया, प्रखण्ड-इसुआपुर, जिला-सारण 9279189840	444823 17239	SBI, SBIN000 3438	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भैंस पालन का कार्य
04	स्व० मन्तू कुमार ओझा, 32, स्व० दरोगा ओझा, अत्यंत पिछड़ा जाति	कान्ती देवी (माता)	तदैव	ग्रा०+पो०-जयथर, थाना-तरैया, प्रखण्ड-इसुआपुर, जिला-सारण 8809790435	347480 99542	SBI, SBIN000 6018	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, गाड़ी ड्राइवरी एवं मजदूरी का कार्य
05	स्व० पंकज कुमार शर्मा, 32, स्व० कमखया शर्मा, अत्यंत पिछड़ा जाति	नीतू शर्मा (पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-इसुआपुर, थाना-प्रखण्ड-इसुआ पुर, जिला-सारण 9709951755	392748 35213	SBI, SBIN000 5438	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, दाढ़ी एवं बाल बनाने का कार्य

कुल :- रु० 5,50,000/-
(पाँच लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-46/2026-1046

पटना, दिनांक :- 19/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, सारण, छपरा/श्रम अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


17/08/2026

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक